तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.12.20	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। बहस हेतु वास्ते आदेश 11.1.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
11.1.21	पत्रावली पेश। वकील वादियां उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता वादियां पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादियां द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहरा कर वाद को स्वीकार करने के कथन किये। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादियां के वादपत्र के कथन, वांछित अनुतोष, एवं अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया। तामील के उपरान्त प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, लिहाजा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादियां ली गई दौराने साक्ष्य वादियां की ओर से स्वयं का शपथ-पत्र प्रदर्श पी-1 एवं नकल जमाबंदी ग्राम डोडखेड़ी संवत 2072-75 खाता नम्बर 5 प्रदर्श-1 प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

-क्रमशः-

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हस्ब प्रदर्श-1 वादियां वादग्रस्त भूमि ग्राम डोडखेड़ी खसरा नम्बर 330/240 रकबा 0.81 हैक्टर की अभिलिखित खातेदार आसामी है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी का किसी भी प्रकार का स्वत्व होना प्रतीत नहीं होता है। अर्थात प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि में कोई सरोकार होना जाहिर नहीं आता है। वादियां का कथन है, कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। जिसे बेदखल कर वादियां को कब्जा दिलाया जावे। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कोई अधिकार मौजूद होना प्रतीत नहीं होता है, अतः उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किया गया कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा 44 के अन्तर्गत अतिचार की श्रेणी में आता है। अतिचारी किसी विशेष प्रकार के अनुग्रह आदि का अधिकारी नहीं होकर बेदखली का दायी होता है। अभिलिखित खातेदार आसामी के खातेदारी स्वत्व तथा उन स्वत्व के उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

-क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आधार पर खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से रोकने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है।
	प्रतिवादी को मात्र बेदखली का पात्र पाया जाता है।
	अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादियां स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादी को ग्राम डोडवेडी की भूमि ख0 नं0 330/240 रकबा 0.81 हेक्टर से बेदखल किया जाकर वादियां को कब्जा दिलाया जावे। दावा दायरी से बेदखली तक की अवधि का भूमि के लगान 4.05 रु के 15 गुना 60.75 R.F. 61/- रुपये प्रतिवर्ष के अनुसार प्रतिवादी से वसूल किये जाकर वादियां को दिलाये जावें। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।
	पत्रावली बाद तामील तकमील व तामील फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 11-01-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।
	(देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

Judl-Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~असल~~

(ऑर्डर 20, क्र० 6-7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

बर अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी

व इजलास — देशल दान (I.A.S.)

गेन्दाकंवर — बनाम — बीरम

2020/00173

दावा बाबत — 183 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं — 108 — सन् — 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु — मुझ देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी — श्री घनश्याम धाकड़ एड० — मिनजानिब मुद्दई व — X

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी की जाती है कि

वाद वादियां स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादी को ग्राम डोडवेडी की भूमि ख0 नं0 330/240 रकबा 0.81 हेक्टर से बेदखल किया जाकर वादियां को कब्जा दिलाया जावे। दावा दायरी से बेदखली तक की अवधि का भूमि के लगान 4.05 रु. के 15 गुना 60.75 R.F. 61/- रु0 प्रतिवर्ष के अनुसार प्रतिवादी से वसूल कर वादियां को दिलाये जावें

बोज — मुबालिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — X — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — X — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 11 — माह — 01 — 2021

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई		रुपया	पं.	मुद्दायलाह		रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीज़ान	....	–	–
मीज़ान	....	–	–				

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी